न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 31/2013 दायर दिनॉक 31.01.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भगवानाराम पुत्र रूघाराम, (फौत), के वारिशान्,– 1/1 लाडीदेवी पत्नी स्वर्गीय भगवानाराम, 1/2 अन्नूदेवी पुत्री स्वर्गीय भगवानाराम, (फौत), के वारिशान्,– 1/2/1 मुन्नाराम पुत्र स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/2/2 माया पुत्री स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/2/3 केशर पुत्री स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/2/4 जगु पुत्र स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/2/5 नारायण पुत्र स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/3 देवाराम पुत्र स्वर्गीय भगवानाराम, 1/4 हजारीराम पुत्र स्वर्गीय भगवानाराम, 1/5 सन्तोष पुत्री स्वर्गीय भगवानाराम, 1/6 विजेशकुमार पुत्र स्वर्गीय भगवानाराम, 1/7 नीतूदेवी पुत्री स्वर्गीय भगवानाराम, 1/8 सरिता पुत्री स्वर्गीय भगवानाराम, समस्त,जाति–गुर्जर, निवासी–रेलवे स्टेशन, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नेमीचन्द पुत्र लच्छाराम, 2. प्रभुराम पुत्र लच्छाराम, 3. मोहनाराम पुत्र लच्छाराम, 4. पेमादेवी पत्नी लच्छाराम, 5. विमलादेवी पुत्री लच्छाराम, 6. गुलाबदेवी पुत्री लच्छाराम, 7. रामप्यारी पुत्री लच्छाराम, 8. घासीराम पुत्र बुधाराम, 9. मदनलाल पुत्र बालाराम, 10. सोहनी पत्नी बालाराम, समस्त,जाति–गुर्जर, निवासी–रेलवे स्टेशन, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. चेतनराम पुत्र मगाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. दिनेशप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–गौशाला के पास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. राजूराम पुत्र कानाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–रेलवे स्टेशन, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 30.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद मण्डाबासनी में खसरा नम्बर 535 रकबा 52.03 बीघा, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के पिता, पति स्वर्गीय लच्छाराम व प्रतिवादी घासीराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 10 के पिता व पति स्वर्गीय बालाराम के नाम दिनॉक 26.05.1998 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।

वादी ने दिनॉक 26.05.1998 को उक्त खसरा नम्बर 535 रकबा 52.03 बीघा में से स्वर्गीय लच्छाराम व घासीराम से उनका 2/3 हिस्सा में से रकबा 19.00 बीघा भूमि जरिये विक्रस–पत्र के खरीद कर ली।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद मण्डाबासनी के खसरा नम्बर 535 रकबा 52.03 बीघा में से विक्रय–पत्र दिनॉक 26.05.1998 के आधार पर रकबा 19.00 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त विक्रय–पत्र में दर्शित पडौस के मध्य रकबा 19.00 बीघा भूमि का एवम् वाद वर्णित भूमि का बन्टवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रशासक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. का पेश हुआ जिसमें वादी भगवानाराम के कायम मुकामात् का प्रार्थना–पत्र जरिये वकील वादी के पेश हुआ, जो स्वीकार किया जाकर रिकॉर्ड पर लिया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि, विक्रय–पत्र की छायाप्रति, पेश है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना में पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि, वादी के हिस्से में से कम करके घोषणा की जावे। वादी ने जरिये प्रार्थना–पत्र के निवेदन किया कि, शरहद मण्डाबासनी के खसरा नम्बर 535 रकबा 52.03 बीघा में से बजाये 19.00 बीघा के रकबा 18.17 बीघा की खातेदारी वादीगण के दर्ज की जावे। वादी का तर्क है कि हालांकि वादी ने उक्त 52.03 बीघा में से रकबा 19.00 बीघा खरीद की है लेकिन विक्रय कर्तागण द्वारा समस्त बेचाण के बाद शेष हिस्सा 18.17 बीघा ही बचता है व इसी की खातेदारी वादीगण के नाम से हो सकती है जिस पर वादीगण सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादीगण की इस्तदुआ पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है। वादीगण अपनी खरीदसुदा भूमि रकबा 19.00 बीघा के बजाये रकबा 18.17 बीघा की खातेदारी पाने में सहमत हैं। शरहद मण्डाबासनी के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 31 / 2013
दायर दिनाँक 31.01.2013, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
भगवानाराम बनाम् नेमीचन्द, वगैरा।

खसरा नम्बर 535 रकबा 52.03 बीघा में से रकबा 18.17 बीघा की खातेदारी वादीगण के घोषित किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मण्डाबासनी में खसरा नम्बर 535 रकबा 52.03 बीघा भूमि में से घासीराम का सम्पूर्ण हिस्सा व लच्छाराम के वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का 1/3 भाग में से रकबा 09.10 बीघा भूमि जो बैचाण की हुई है, को खातेदारी में से कम की जाकर रकबा 18.17 बीघा का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खातेदार घासीराम का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 30.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 31/2013 दायर दिनाँक 31.01.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भगवानाराम पुत्र रूघाराम, (फौत), के वारिशान्,– 1/1 लाडीदेवी पत्नी स्वर्गीय भगवानाराम, 1/2 अन्नूदेवी पुत्री स्वर्गीय भगवानाराम, (फौत), के वारिशान्,– 1/2/1 मुन्नाराम पुत्र स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/2/2 माया पुत्री स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/2/3 केशर पुत्री स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/2/4 जगु पुत्र स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/2/5 नारायण पुत्र स्वर्गीय अन्नूदेवी, 1/3 देवाराम पुत्र स्वर्गीय भगवानाराम, 1/4 हजारीराम पुत्र स्वर्गीय भगवानाराम, 1/5 सन्तोष पुत्री स्वर्गीय भगवानाराम, 1/6 विजेशकुमार पुत्र स्वर्गीय भगवानाराम, 1/7 नीतूदेवी पुत्री स्वर्गीय भगवानाराम, 1/8 सरिता पुत्री स्वर्गीय भगवानाराम, समस्त,जाति–गुर्जर, निवासी–रेलवे स्टेशन, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नेमीचन्द पुत्र लच्छाराम, 2. प्रभुराम पुत्र लच्छाराम, 3. मोहनाराम पुत्र लच्छाराम, 4. पेमादेवी पत्नी लच्छाराम, 5. विमलादेवी पुत्री लच्छाराम, 6. गुलाबदेवी पुत्री लच्छाराम, 7. रामप्यारी पुत्री लच्छाराम, 8. घासीराम पुत्र बुधाराम, 9. मदनलाल पुत्र बालाराम, 10. सोहनी पत्नी बालाराम, समस्त,जाति–गुर्जर, निवासी–रेलवे स्टेशन, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. चेतनराम पुत्र मगाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. दिनेशप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–गौशाला के पास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. राजूराम पुत्र कानाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–रेलवे स्टेशन, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

दिनॉक 30.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादी** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मण्डाबासनी में खसरा नम्बर 535 रकबा 52.03 बीघा भूमि में से घासीराम का सम्पूर्ण हिस्सा व लच्छाराम के वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का 1/3 भाग में से रकबा 09.10 बीघा भूमि जो बैचाण की हुई है, को खातेदारी में से कम की जाकर रकबा 18.17 बीघा का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खातेदार घासीराम का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत............... ......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर (मुहर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प अर्जी		
	–		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर (मुहर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner